



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 04 मार्च, 2014 ई0

फाल्गुन 13, 1935 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 101/XXXVI(3)/2014/15(1)/2014

देहरादून, 04 मार्च, 2014

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित “उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा विविध (संशोधन) विधेयक, 2014” पर दिनांक 03 मार्च, 2014 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 14 वर्ष, 2014 के रूप में सर्व-साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा विविध (संशोधन) अधिनियम, 2014

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 14 वर्ष 2014)

उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेन्शन) अधिनियम, 2008, उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन भत्ते) अधिनियम, 1952 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) तथा उत्तराखण्ड मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 2009 में अग्रत्तर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-

- संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा विविध (संशोधन) अधिनियम, 2014 है।
(2) यह दिनांक 01 जनवरी, 2014 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।
उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेन्शन) अधिनियम, 2008
- धारा 3 का संशोधन 2. उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेन्शन) अधिनियम, 2008 (जिसे यहां आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) में शब्द "पाच हज़ार रुपये" के स्थान पर "दस हज़ार रुपये" रख दिये जायेंगे।
- धारा 4 का संशोधन 3. मूल अधिनियम की धारा 4 में शब्द "तीस हज़ार रुपये" के स्थान पर "साठ हज़ार रुपये" रख दिये जायेंगे।
- धारा 4क का अंतःस्थापन 4. मूल अधिनियम की धारा 4 के पश्चात् एक नयी धारा 4क निम्नवत अंतःस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्—
" सभा के प्रत्येक सदस्य चाहे वह धारा 2 के खण्ड (च) में उल्लिखित किसी पद पर आसीन हो या न हो, अपनी सदस्यता की अवधि में तीन हज़ार रुपये प्रतिमास का चालक भत्ता पाने का हकदार होगा"।
- धारा 5 का संशोधन 5. मूल अधिनियम की धारा 5 में —
(क) उपधारा (1) में शब्द "एक लाख अस्सी हज़ार रुपये" के स्थान पर "दो लाख सत्तर हज़ार रुपये" तथा "बीस हज़ार रुपये" के स्थान पर "तीस हज़ार रुपये" रख दिये जायेंगे।
(ख) उपधारा (2) में शब्द "पचास हज़ार रुपये" के स्थान पर "एक लाख रुपये", "तीस हज़ार रुपये" के स्थान पर "बहत्तर हज़ार रुपये" तथा "बीस हज़ार रुपये" के स्थान पर "अठ्ठाईस हज़ार रुपये" रख दिये जायेंगे।

- (ग) उपधारा (2) में निम्नवत एक परन्तुक जोड़ दिया जायेगा, अर्थात्—
 " परन्तु यह कि 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले किसी भूतपूर्व सदस्य को सम्पूर्ण धनराशि डीजल/पेट्रोल व्यय के रूप में नकद भुगतान प्राप्त करने का विकल्प होगा" ।
- धारा 9 का संशोधन 6. मूल अधिनियम की धारा 9 में जहां शब्द "सदस्य" आया है के पश्चात् शब्द "या पूर्व सदस्य" रख दिये जायेंगे।
- धारा 11 का संशोधन 7. मूल अधिनियम की धारा 11 में —
 (क) उपधारा (1) में शब्द "एक हजार रुपये" के स्थान पर "दो हजार हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।
 (ख) उपधारा (2) में शब्द "एक हजार रुपये" के स्थान पर "दो हजार हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।
 (ग) उपधारा (3) में शब्द "एक हजार रुपये" के स्थान पर "दो हजार हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।
- धारा 12 का संशोधन 8. मूल अधिनियम की धारा 12 में शब्द "एक हजार रुपये" के स्थान पर "दो हजार हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।
- धारा 13 का संशोधन 9. मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के पश्चात् एक नया परन्तुक जोड़ दिया जायेगा, अर्थात्—
 "परन्तु यह कि यदि किसी सदस्य को ऐसे आवास की व्यवस्था नहीं की जाती है तो उसे तीन सौ रूपया प्रतिमाह की प्रतिपूर्ति की जायेगी।"
- धारा 17 का संशोधन 10. मूल अधिनियम की धारा 17 निम्नवत प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्—
 " सभा का प्रत्येक सदस्य या पूर्व सदस्य चाहे वह धारा 2 के खण्ड (च) में उल्लिखित किसी पद पर आसीन हो या न हो, की स्वयं तथा परिवार के सदस्यों की चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य के प्रथम श्रेणी के अधिकारी के समतुल्य होंगी।"
- धारा 20 का संशोधन 11. मूल अधिनियम की धारा 20 में —
 (क) उपधारा (1) में शब्द "दस हजार रुपये" के स्थान पर "बीस हजार हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।
 (ख) विद्यमान परन्तुक निम्नवत प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्—
 " परन्तु जहां किसी व्यक्ति ने एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए कार्य किया हो, वहां वह एक वर्ष से अधिक प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए एक हजार रुपये प्रतिमास, 65 वर्ष आयु पूर्ण होने पर पांच प्रतिशत, 70 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर दस प्रतिशत, 75 वर्ष आयु पूर्ण होने पर पचीस प्रतिशत तथा 80 वर्ष आयु पूर्ण होने पर पचास प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन पाने का हकदार होगा।"

धारा 23ख का अंतःस्थापन 12. मूल अधिनियम की धारा 23क के पश्चात् एक नयी धारा 23ख निम्नवत् अंतःस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्—

“सभा के प्रत्येक सदस्य चाहे वह धारा 2 के खण्ड (च) में उल्लिखित किसी पद पर आसीन हो या न हो, की मृत्यु एवं दुर्घटना पर पाँच लाख रुपये का सामूहिक जीवन बीमा की धनराशि प्राप्त करने का हकदार होगा।”

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन भत्ते) अधिनियम, 1952

(उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त)

धारा 2 का संशोधन

13. उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन भत्ते) अधिनियम, 1952 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 2 की उपधारा (1) में उत्तराखण्ड राज्य के परिपेक्ष में विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के मासिक वेतन में शब्द “अद्वारह हजार रुपये” के स्थान पर शब्द “चौद्वन हजार रुपये” रख दिये जायेंगे।

उत्तराखण्ड मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 2009

धारा 3 का संशोधन

14. उत्तराखण्ड मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 2009 (जिसे यहां आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 में —

(क) उपधारा (1) में शब्द “पन्द्रह हजार रुपये” के स्थान पर “पैंतालिस हजार रुपये” रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (2) में शब्द “चौदह हजार रुपये” के स्थान पर “बयालिश हजार रुपये” रख दिये जायेंगे।

(ग) उपधारा (3) में शब्द “बारह हजार रुपये” के स्थान पर “छत्तीस हजार रुपये” रख दिये जायेंगे।

धारा 4 का संशोधन

15. मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) में शब्द “दस हजार रुपये” के स्थान पर “तीस हजार रुपये” रख दिये जायेंगे।

धारा 11 का संशोधन

16. मूल अधिनियम की धारा 11 निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जायेगी—

“प्रत्येक मंत्री, जो सभा का सदस्य हो, उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 2008 (समय-समय पर यथासंशोधित) की धारा 4, 7, 11, 16, 17, 23ख और अध्याय ग्यारह के अधीन उपलब्ध लाभों का उपभोग करता रहेगा।”

आज्ञा से,

के0डी0 भट्ट,
प्रमुख सचिव।